2008:CGHC:8606-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 876 वर्ष 1995

बृजलाल साहू,

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक 610 वर्ष 1995

बृजलाल साहू,

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

सही

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा:

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 876 वर्ष 1995

अपीलार्थी :बृजलाल साहू, पिता रामगिर साहू, आयु लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम हसदा, थाना अभनपुर, जिला रायपुर (म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी :मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी के लिए श्री राम कृष्ण शर्मा अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

दांडिक अपील क्रमांक 610 वर्ष 1995

अपीलार्थी :बृजलाल साहू, पिता रामगिर साहू, आयु लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम हसदा, थाना अभनपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी :मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

अपीलार्थी के लिए श्री राम कृष्ण शर्मा अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 29 नवंबर, 2011 को उदघोषित)

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा द्वारा:

चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 244/1994 (राज्य बनाम बृजलाल साहू) में दिनांक 09-03-1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त/अपीलार्थी बृजलाल साहू ने दो अपीलें दायर की हैं, अर्थात दांडिक अपील क्रमांक 876/1995 तथा 610/1995। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा श्री राम कृष्ण शर्मा, अधिवक्ता को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस निर्णय से दोनों अपील को निराकृत किया जा रहा है| आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी बृजलाल साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में निम्नानुसार है:

मृतका सोना बाई अपीलार्थी की पत्नी थी। अपीलार्थी को संदेह था कि उसके पुत्र राधे श्याम, ईश्वर तथा अन्य ग्रामीणों के साथ मृतिका का अवैध सम्बन्ध था तथा इसी कारण उनके बीच कई बार झगड़ा हुआ था। घटना की तिथि अर्थात 01-03-1994 को अपीलार्थी तथा मृतका चना-बूट बेचने गए थे। अपीलार्थी ने एक टांगी को छिपाकर अपने साथ ले गया था। घर लौटते समय लगभग रात्रि 9 बजे अपीलार्थी ने सपुर्णा साहू के खेत के पास टांगी से मृतका की हत्या कर दी तथा उसके पश्चात् टांगी को बद्रीनाथ

निर्मलकर (अभि.सा.-4) के घर में फेंक दिया। ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तथा वहां अपीलार्थी का एक जूता तथा तंबाकू का डिब्बा देखा। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01-03-1994 को रात्रि 10:45 बजे थाना अभनपुर में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-15) दर्ज कराई गई जिसमें मृतका की हत्या के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया था कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई है। इसके पश्चात् उसी दिनांक 01-03-1994 को रात्रि 10:55 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-16) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-1) दी तथा मृतका के शव की मृत्यु-समीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार की। मृतका के शव को प्रदर्श पी-12 के माध्यम से शवपरीक्षण हेतु डी.के. अस्पताल, रायपुर भेजा गया। डॉ. डी.सी. जैन (अभि.सा.-19) द्वारा शवपरीक्षण किया गया, जिन्होंने अपनी प्रतिवेदन प्रदर्श पी-20 प्रस्तुत की। उन्होंने निम्नलिखित कटे हुए घाव पाए: (**i**) बाएं भुजा के मध्य में 21/2"×1/2"×1/2", (**ii**) चोट क्रमांक (**i**) के ऊपर बाएं भुजा पर 2"×1/2"×1/2", (**iii**) चोट क्रमांक (**ii**) के ऊपर बाएं भुजा पर 2"×1/2"×1/2", (**iv**) चोट क्रमांक (**iii**) के पास बाएं भुजा पर 2"×1/4"×1/4", (**v**) सब-मैंडिबल के पास गले के बाएं हिस्से पर 2 1/2"×1/2"×1/2", (**vi**) कान के ऊपर बाएं टेम्पोरल क्षेत्र पर 2 1/2"×1/2"×1/2", (**vii**) चोट क्रमांक (**vi**) के ऊपर बाएं टेम्पोरल क्षेत्र पर 2 1/2"×1/2"×2", (**viii**) बाएं पैरिएटो-टेम्पोरल क्षेत्र पर 2 1/2"×1/2"×1/2", (**ix**) बाएं कंधे-पीठ पर 3"×1"×1", (**x**) बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर 2 1/2"×1/2"×1/2", (**xi**) चोट क्रमांक (**x**) के ऊपर बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर 21/2"×1/2"×1", (**xii**) चोट क्रमांक (**xi**) के ऊपर बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर 21/2"×1/4"×1/4", (**xiii**) दाएं कंधे पर 2"×1/2"×1/2" तथा (**xiv**) गले के पीछे 21/2"×1/2"×1/2"। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण मस्तिष्क को चोट लगने से कोमा था तथा मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

आगे की विवेचना में अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-4) दिनांक 02-03-1994 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा उसके निशानदेही पर बद्रीनाथ निर्मलकर (अभि.सा.-4) के कुएं से एक टांगी प्रदर्श पी-5 के माध्यम से जब्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गई। अपीलार्थी के घर से आलू, टमाटर तथा अन्य सब्जियां प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जब्त की गईं। विवेचना अधिकारी डी.एस. उइके (अभि.सा.-20) द्वारा अपीलार्थी के घर की तलाशी ली गई तथा तलाशी-पंचनामा (प्रदर्श पी-7) तैयार किया गया। तलाशी के दौरान अपीलार्थी के घर से कुर्ता, सफेद धोती तथा लुंगी भी प्रदर्श पी-8 के माध्यम से जब्त की गई।

विवेचना पूरी होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर की न्यायलय में अभियोग-पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया तथा वहां से चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को अंतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण किया तथा अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया तथा दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। उन्होंने अपराध किये जाने से इनकार किया।

3. श्री राम कृष्ण शर्मा, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य तथा प्रकटीकरण कथन एवं जूतों की बरामदगी के आधार पर दर्ज की गई दोषसिद्धि का निष्कर्ष अनुचित है। उपर्युक्त परिस्थितियां संदेह से परे साबित नहीं हुई हैं। यदि इन परिस्थितियों को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मृतका की हत्या अपीलार्थी द्वारा ही की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि घटनास्थल से बरामद एक जूता ठीक से पहचान नहीं किया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह अच्छी तरह स्थापित है कि प्रबल संदेह प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है तथा अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं।

4. इसके विपरीत, श्री अजय द्विवेदी, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को प्रदान की गई दोषसिद्धि तथा अधिरोपित दंड में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा आक्षेपित निर्णय तथा सत्र न्यायालय के अभिलेख का अवधारित किया है। यह स्वीकार्य है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन का मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। मुख्य परिस्थितियाँ, जिन्हें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ध्यान में रखा प्रतीत होता है, निम्नलिखित हैं:

I. मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ देखा गया था।

II. मृतक के शव के पास एक जूता जब्त किया गया था, जो अपीलकर्ता का था। (

अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन पर और उसके निशानदेही करने पर, एक टंगिया कुएँ से जब्त की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. बोधराज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (2002) 8 एस एस सी 45 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"17. ..... इस न्यायालय के शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा देने से पूर्व पूर्वापेक्षित शर्त पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। वे इस प्रकार हैं: (एस एस सी पृष्ठ 185, पैरा 153)

1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ अवश्य या होनी चाहिए और हो सकती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए;

2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराधी होने की परिकल्पना (हाइपोथेसिस) के साथ ही सुसंगत होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य

परिकल्पना से इंगित करता हुआ नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त अपराधी है;

3) परिस्थितियाँ निश्चयात्मक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

4) वे प्रत्येक संभावित परिकल्पना को बाहर कर देनी चाहिए सिवाय उस एक के जिसे सिद्ध किया जाना है; तथा

5) साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत कोई उचित आधार शेष न रहे और यह प्रदर्शित होना चाहिए कि मानवीय संभाव्यता की सभी दृष्टियों से वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हट्टी सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2007) 12 एस एस सी 471 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"27. रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 10 एस एस सी 172 मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस एस सी पृष्ठ 181, पैरा 27-28)

'27. अंतिम बार साथ देखे जाने की सिद्धांत (लास्ट-सीन थ्योरी) तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक के साथ जीवित देखे जाने के समय और मृतक के शव मिलने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना असंभव हो जाए। ऐसी स्थिति में भी न्यायालयों को कुछ पुष्टिकरण (कोरॉबोरेशन) की तलाश करनी चाहिए।'"

28. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, (2005) 3 एस एस सी 114 मामले में, इस न्यायालय ने अवधारित किया: (एस एस सी पृष्ठ 123, पैरा 22)

'22. अंतिम बार साथ देखे जाने की सिद्धांत (लास्ट-सीन थ्योरी) तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक के साथ जीवित देखे जाने के समय और मृतक के शव मिलने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना असंभव हो जाए। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना कठिन होगा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, जब समय अंतराल लंबा हो और बीच में अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना मौजूद हो। यदि अभियुक्त और मृतक के साथ अंतिम बार एक साथ देखे जाने के बारे में कोई अन्य सकारात्मक साक्ष्य न हो, तो उन मामलों में दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा। .....'

(यह भी देखें: **गोवा राज्य बनाम संजय ठाकुरन एवं अन्य, (2007) 3 एस एस सी 755**।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अब हम अभियोजन द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का परीक्षण करेंगे तथा यह देखेंगे कि क्या अभियोजन ने अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध को उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है।

9. अंतिम बार साथ देखे जाने के प्रश्न के संबंध में, यह विवादित नहीं है कि मृतका अपीलकर्ता की पत्नी थी और वे दोनों साथ-साथ रहते थे। यह भी विवादित नहीं है कि वे दोनों चना-बूट बेचा करते थे। यह भी विवादित नहीं है कि मृतका की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

10. घसीराम (अभियोजन साक्षी-3) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वह शाम को लगभग 8-8:30 बजे साइकिल से बाहर जा रहा था, रास्ते में अपीलकर्ता उससे मिला और उसने बताया कि उसकी पत्नी को किसी ने मार डाला है। अपीलकर्ता ने उससे अनुरोध किया कि उसे अपनी साइकिल पर उस जगह ले चलें जहाँ वह जा रहा था।

वे आगे बढ़े। कुछ दूरी के बाद ग्रामीण उनसे मिले। अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी को किसी ने मार डाला है और उनसे मदद मांगी। वह स्वयं, रामलाल (अभियोजन साक्षी-15), पुसौ (अभियोजन साक्षी-13) तथा 8-10 ग्रामीण मृतका के शव को देखने गए। मृतका का शव सपूरन साहू के खेत में पड़ा हुआ था। जैसे ही अपीलकर्ता ने मृतका के शव को देखा, उसने मृतका को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। जब अपीलकर्ता उससे मिला था, तब उसने अपीलकर्ता के कपड़ों पर कोई खून का धब्बा नहीं देखा था। यह सत्य है कि मृतका का शव खून से सना हुआ था और अपीलकर्ता ने उसी स्थिति में मृतका के शव को गले लगाया था।

11. बद्रीनाथ निर्मलकर (अभियोजन साक्षी-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलकर्ता और उसकी पत्नी उसके पास चना-बूट खरीदने आए थे। उसने उन्हें लगभग 40 किलोग्राम चना-बूट 100 रुपये में बेचा था। वे चना-बूट बेचने के लिए रायपुर की ओर गए थे। शाम को लगभग 7-8 बजे यह खबर फैली कि मृतका की हत्या हो गई है और उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. कु. तुलसी (अभियोजन साक्षी-18) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसके बड़े भाई मेघनाथ (अभियोजन साक्षी-8), ईश्वर और राधे श्याम नयापारा में रहते थे। वह स्वयं, उसका भाई सुम्मेंद्र और डोमार अपीलकर्ता तथा मृतका के साथ रहते थे। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया दी कि रात में उसके बड़े भाई मेघनाथ (अभियोजन साक्षी-8) आए और उसके माता-पिता के ठिकाने के बारे में पूछा। उसने बताया कि वे चना-बूट बेचने गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, उसे पता नहीं।

13. अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के संबंध में, अभियोजन द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलकर्ता और मृतका चना-बूट बेचने साथ-साथ गए थे तथा मृतका को अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ में देखा गया था।

14. पुनीतराम (अभियोजन साक्षी-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम लगभग 8:30 बजे वह चौबूटरे पर बैठा हुआ था। अपीलकर्ता वहाँ से गुजर रहा था। उसके कपड़े गीले थे। उसने अपीलकर्ता से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने उत्तर दिया कि वह बद्रीनाथ निर्मलकर (अभियोजन साक्षी-4) के घर चना-बूट की कीमत चुकाने जा रहा है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलकर्ता और मृतका चना-बूट बेचने रायपुर जाया करते थे। उनके बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। जब अपीलकर्ता उससे मिला था, तब उसके कपड़ों पर कोई खून का धब्बा नहीं था।

15. घनश्याम (अभियोजन साक्षी-16) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन रात लगभग 11 बजे उसके भाई मेघनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-8) उसके घर आए और अपनी मां (मृतका) के बारे में पूछताछ की। उसने उत्तर दिया कि वह अपीलकर्ता के साथ चना-बूट बेचने गई है। तब मेघनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-8) ने उसे बताया कि अपीलकर्ता ने उनकी मां (मृतका) की हत्या कर दी है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मेघनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-8) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसे 1-3-1994 को पता चला कि उसकी मां (मृतका) की हत्या हो गई है। वह घटनास्थल पर रात लगभग 11 बजे पहुंचा। प्रतिपरीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह कई वर्षों से अपने पिता से अलग रह रहा है। घटनास्थल पर अपीलकर्ता का एक जूता और तंबाकू का डिब्बा पड़ा हुआ था। रामलाल यादव (अभियोजन साक्षी-15) ने अभिसाक्ष्य दिया कि गांव में यह खबर फैली कि किसी ने एक महिला की हत्या कर दी है। तब वह, घसीराम (अभियोजन साक्षी-3), एक चुन्नूराम तथा 3-4 ग्रामीण शव देखने गए। शव अपीलकर्ता की पत्नी सोना बाई का निकला। वहाँ अपीलकर्ता का एक जूता और तंबाकू का डिब्बा पड़ा हुआ था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलकर्ता ने मृतका को गले लगाया और रोने का नाटक किया।

17. कु. तुलसी (अभियोजन साक्षी-18), जो अपीलकर्ता तथा मृतका की पुत्री है, ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलकर्ता और मृतका के बीच सामान्य झगड़े होते थे जैसा कि अन्य परिवारों में होता है। वे खुशी से साथ-साथ रहते थे। अपीलकर्ता और घनश्याम (अभियोजन साक्षी-16) के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। वे आपस में झगड़ते थे। अपीलकर्ता ने उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया था।

18. किसी भी अभियोजन साक्ष्य ने अपनी साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्होंने अपीलकर्ता और मृतका को चना-बूट बेचने साथ-साथ जाते देखा था।

19. अभियोजन के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि मृतका अपीलकर्ता के साथ चना-बूट बेचने गई थी और उसे अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ में देखा गया था। बद्रीनाथ निर्मलकर (अभियोजन साक्षी-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह अपीलकर्ता और मृतका उसके पास चना-बूट खरीदने आए थे। शाम लगभग 7-8 बजे उन्हें खबर मिली कि गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। बद्रीनाथ निर्मलकर (अभियोजन साक्षी-4) ने अपीलकर्ता और मृतका को दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह साथ-साथ देखा था और उसी दिन शाम लगभग 7-8 बजे मृतका का शव मिला था, जो यह दर्शाता है कि इन दोनों समय बिंदुओं के बीच का अंतराल लंबा था। अपीलकर्ता और मृतका को जीवित अवस्था में अंतिम बार साथ-साथ देखे जाने के समय और मृतका के शव मिलने के समय के बीच का समय-अंतराल इतना लंबा है कि अपीलकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच में आने और अपराध के कर्ता होने की संभावना संभव हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अगली परिस्थिति अपीलकर्ता का प्रकटीकरण कथन तथा मृतका के शव के पास एक जूते की बरामदगी और उसका अपीलकर्ता का होना है।

21. अन्वेषण अधिकारी डी.एस. उइके (अभियोजन साक्षी-20) ने अभिसाक्ष्य दिया दी कि उन्होंने अपीलकर्ता का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-4 के अंतर्गत दर्ज किया तथा

अपीलकर्ता के इंगित पर एक टंगिया को कुएँ से प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत जब्त किया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया दी कि मृतका के शव के पास एक जूता तथा तंबाकू का डिब्बा भी प्रदर्श पी-3 के अंतर्गत जब्त किया गया था। हरखराम (अभियोजन साक्षी-6) ने अभिसाक्ष्य दिया दी कि अपीलकर्ता के इंगित पर बद्रीनाथ निर्मलकर (अभियोजन साक्षी-4) के कुएँ से पानी निकालकर एक टंगिया जब्त की गई। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया दी कि अपीलकर्ता से एक थैला भी प्रदर्श . पी -6 के अंतर्गत जब्त किया गया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलकर्ता के घर से कुर्ता, टोपी तथा लुंगी भी प्रदर्श. पी -8 के अंतर्गत जब्त किए गए। डी.एस. उइके (अभियोजन साक्षी-20) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलकर्ता के घर की तलाशी के दौरान घटना के समय अपीलकर्ता द्वारा पहने गए कपड़े प्रदर्श . पी -8 के अंतर्गत जब्त किए गए। हरखराम (अभियोजन साक्षी-6) ने अभिसाक्ष्य दिया कि यह सत्य है कि जिस कुएँ से टंगिया बरामद की गई थी, वह खुले स्थान पर स्थित था। यह भी सत्य है कि उस कुएँ में कई वस्तुएँ फेंकी हुई और पड़ी हुई थीं। बरामदगी की कार्यवाही दो दिन तक चली और टंगिया की जब्ती घटना के तीसरे दिन की गई। डी.एस. उइके (अभियोजन साक्षी-20) ने भी अभिसाक्ष्य दिया दी कि वह कुआँ सार्वजनिक स्थान पर स्थित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जिस कुएँ से टंगिया बरामद की गई थी, वह बद्रीनाथ निर्मलकर (अभियोजन साक्षी-4) के खेत में स्थित था, जो एक खुला स्थान है। वह कुआँ अपीलकर्ता के कब्जे में नहीं था। वह किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा पहुँच योग्य था। उस कुएँ में टंगिया फेंकने की संभावना है क्योंकि यह ग्रामीणों/किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य वस्तु है। अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जब्त की गई टंगिया पर मानव रक्त था।

23. अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि जब्त की गई वस्तुएँ टंगिया , लुंगी, धोती, टोपी तथा कुर्ता रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गई थीं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की कोई प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं

की गई है। अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उपरोक्त जब्त वस्तुओं पर मानव रक्त था।

24. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या मृतका के शव के पास एक जूते की जब्ती के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की जा सकती है?

25. **आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2002 एस सी 3206** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मात्र संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल या संभाव्य क्यों न हो, अपराध करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक विधिक प्रमाण का प्रभावी विकल्प नहीं हो सकता तथा आरोप जितना गंभीर होता है, उतना ही उच्च स्तर का प्रमाण अपेक्षित होता है; आपराधिक मामलों का विचरण करने वाले न्यायालयों को कम से कम यह सतत स्मरण रखना चाहिए कि 'शायद सत्य हो' और 'अवश्य सत्य होना चाहिए' के बीच लंबी मानसिक दूरी होती है तथा यह आधारभूत एवं स्वर्णिम नियम ही 'अनुमानों' तथा 'निष्कर्षों' के बीच आवश्यक अंतर को बनाए रखने में सहायक होता है, जिन निष्कर्षों तक मामले के सभी पहलुओं तथा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के पूर्ण एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर पहुँचा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. लूरसिंह (अभियोजन साक्षी-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका के शव के पास एक जोड़ी जूते तथा एक जोड़ी महिला चप्पल जब्त की गई थी। यह सत्य है कि बाजार में जब्त किए गए जूतों जैसे समान जूते उपलब्ध हैं। घनश्याम (अभियोजन साक्षी-16) ने भी अभिसाक्ष्य दिया कि घटनास्थल से जब्त किए गए जूतों जैसे समान जूते बाजार में उपलब्ध हैं। घसीराम (अभियोजन साक्षी-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटनास्थल पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने जूते की पहचान नहीं की।

27. मेघनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-8) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने घटनास्थल पर एक प्लास्टिक का जूता तथा तंबाकू का डिब्बा देखा, जो अपीलकर्ता का था। उसने

अभिसाक्ष्य दिया दी कि ऐसे समान जूते बाजार में उपलब्ध हैं। पुसौ (अभियोजन साक्षी-13) ने अभिसाक्ष्य दिया दी कि मृतका के शव के पास जूता पड़ा हुआ था तथा ऐसे समान जूते बाजार में उपलब्ध हैं। रामलाल यादव (अभियोजन साक्षी-15) ने अभिसाक्ष्य दिया दी कि घटनास्थल पर अपीलकर्ता का एक जूता तथा तंबाकू का डिब्बा पड़ा हुआ था।

28. अभियोजन ने इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटनास्थल से अपीलकर्ता का एक जूता जब्त किया गया था। डी.एस. उइके (अभियोजन साक्षी-20) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने घटनास्थल से जब्त अपीलकर्ता के जूते का मिलान घटना के समय अपीलकर्ता द्वारा पहने गए दूसरे जूते से नहीं की। प्रतीत होता है कि घटनास्थल से जब्त जूते का मिलान तथा पहचान नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. मृतका के शव के पास जूते के मिलने की परिस्थिति, जो अभियोजन के अनुसार अपीलकर्ता का था तथा जो अपीलकर्ता ने घटना की तारीख को पहना हुआ था, अपर्याप्त है। यह जोड़ना कठिन है कि मृतका के शव के पास जब्त किया गया जूता अपीलकर्ता द्वारा पहना गया था। इस पर एक आपराधिक परिस्थिति के रूप में भरोसा करना कठिन है। यह सिद्ध नहीं हुआ कि घटनास्थल से जब्त जूता अपीलकर्ता का था। इसलिए, स्मरण-पत्र कथन तथा घटनास्थल से जूते और तंबाकू के डिब्बे की बरामदगी की परिस्थितिजन्य साक्ष्य विश्वसनीय एवं ठोस नहीं है तथा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के लिए इसका आधार नहीं लिया जा सकता।

30. हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। हमारा विचार है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अंतिम बार साथ देखे जाने तथा घटनास्थल से जूते की बरामदगी और कुएँ से टंगिया की बरामदगी की परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि का आधार लेते हुए विधि में त्रुटि की है। हमारा

विचार है कि उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

31. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि तथा सजा अपास्त की जाती है। वह उसके विरुद्ध अधिरोपित किये गए आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके बंध -पत्र रद्द किए जाते हैं तथा प्रतिभूति उन्मोचित किये जाते है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी